



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक निगरानी 1814- दो/2000

जिला -भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.08.2015	<p>आवेदक अभिभाषक एवं आवेदक कई पेशियों से अनुपस्थित हैं । उनको समय समय पर आवाज लगवाई गई उसके बाद भी अनुपस्थित । अतः प्रकरण आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p>	



सदस्य



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

CF. Rg. 157-9

प्र. क्र. /2000 निगरानी - 1814-III / 2000

श्रीमती हीराबाई पत्नी श्री महेन्द्रप्रताप सिंह निवासी- शेरपुर इमरा मुख्त्यारआम महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी हाल जबलपुर

----- प्रार्थी

बनाम

सुखंबिन्दर सिंह पुत्र अमर सिंह सिख निवासी- ग्राम रायतपुरा परगना गोहद जिला भिण्ड

----- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त चम्बल संभाग, आदेश दिनांक 29.6.2000 पारित प्र. क्र. 140/90-91 अपील, निगरानी अंतर्गत धारा 50 रे. को.

=====

श्रीमान्,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :-

§ अ §

यह कि, विवादित भूमि स्थित ग्राम शेरपुर कित्ता 2 रक्वा 6 वीघा 8 विस्वा के 1/2 भाग की प्रार्थी तथा शेष 1/2 भाग का प्रतिप्रार्थी भूमिस्वामी है ।

§ ब §

यह कि, प्रतिप्रार्थी ने तहसीलदार महोदय के न्यायालय में धारा 190/110 रे. को. के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया कि उसने उक्त भूमि का 1/2 भाग प्रार्थी से मौखिक अनुबन्ध पर किया है । अतः उसे प्रार्थी के स्थान पर भूमि स्वामी के रूप में नामान्तरण करने के आदेश प्रदान किये जावे।



R-1814-III/2000

श्री राजाराम शर्मा
द्वारा आज दि. 22.9.2000 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म. प्र. जबलपुर

22 SEP 2000

1/17/27/21/17
22-9-2000



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

CF-9. 15/9

प्र. क्र. /2000 निगरानी - 1814-III / 2000

R- 1814-III / 2000

श्री राजाराम शर्मा प्रार्थी
द्वारा आज दि. 22.9.2000 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
22 SEP 2000

श्रीमती हीराबाई पत्नी श्री महेन्द्रप्रताप
सिंह निवासी- शेरपुर द्वारा मुख्त्यारआम
महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र देवी सिंह
निवासी हाल जबलपुर

----- प्रार्थी

बनाम

सुखबिन्दर सिंह पुत्र अमर सिंह
सिख निवासी- ग्राम रायतपुरा परगना
गोहद जिला भिण्ड

----- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त चम्बल संभाग,
आदेश दिनांक 29.6.2000 पारित प्र. क्र. 140/90-91
अपील, निगरानी अंतर्गत धारा 50 रे. को.

=====

श्रीमान्,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :-

यहकि, विवादित भूमि स्थित ग्राम शेरपुर किता 2 रकवा
6 वीघा 8 बिस्वा के 1/2 भाग की प्रार्थी तथा शेष 1/2
भाग का प्रतिप्रार्थी भूमिस्वामी है।

॥ अ॥

॥ ब॥

यहकि, प्रतिप्रार्थी ने तहसीलदार महोदय के न्यायालय में
धारा 190/110 रे.को. के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया कि
उसने उक्त भूमि का 1/2 भाग प्रार्थी से मौखिक

----- किया है। अतः उसे प्रार्थी के स्थान पर भूमि

1/11/2000 21/11/2000
22-9-2000